

28 (७)

मोप्र०शासन,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक/टी-15-7/15/14-3/


भोपाल, दिनांक ०१ मार्च 2015  
**उपर्युक्त**

### परिपत्र

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 दिनांक 27.09.2008 से संचालित की जा रही है। योजना के नियम/प्रावधान के अंतर्गत हितग्राहियों के प्राप्त आवेदन को स्वीकृत कर, भुगतान करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त हैं।

प्रायः देखने में आया है कि योजनांतर्गत हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण समाधान ऑनलाईन एवं सीएमएलाईन तथा अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः योजना के नियम/प्रावधान अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को ०७ दिवस की समय-सीमा में जाँच उपरांत स्वीकृत करें एवं १५ दिवस की समयावधि में हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

  
(मोप्र० सचिव राजीव सिंह)

प्रमुख सचिव,  
मोप्र०शासन,


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,

क्रमांक/टी-15-7/15/14-3/

मंत्रालय, भोपाल. **उपर्युक्त**  
भोपाल, दिनांक ०१ मार्च 2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. ✓ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, 26 अरेसा हिल्स, जेल रोड, भोपाल.
2. कलेक्टर - जिला ..... (समस्त) मोप्र०।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।

  
प्रमुख सचिव  
मोप्र०शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल.

मोप्र० श्री राजीव सिंह  
क्रमांक/टी-15-7/15/14-3/

Adalat (H.D.V.)



01\_MMKJKY LETTER.Rdct

- १८ -

ज्ञान (P.M.)  
Adalat/H/17  
6.3.15  
20.3.15